भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी - 3095/2018/इंदौर/भू.रा.

(101)

चैनसिंह पिता बापूसिंह
पता : ग्राम जम्बूड़ी हप्सी,
तह. हातोद, जिला इन्दौर (म.प्र.) — प्रार्थी

विरूद्ध

राजेश खण्डेलवाल पिता सीताराम खण्डेलवाल
निवासी : इन्दौर (म.प्र.) — प्रतिप्रार्थी

रिविजन धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत

प्रार्थी तर्फे नम्र निवेदन है कि :—

1. यह कि, प्रार्थी रा.रा. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, हातोद, जिला इन्दौर इन्होंके द्वारा अपील प्रकरण क्रं. 15/अपील/17—18 में पारित आदेश दिनांक 6—4—2018 से असंतुष्ट होकर यह रिविजन न्यायार्थ प्रस्तुत करता है।

वस्तुस्थिति

1. यह कि, तहसीलदार हातोद के न्यायालय में प्रतिप्रार्थी राजेश खण्डेलवाल ने ग्राम जम्बूड़ी हप्सी, तहसील हातोद की भूमि सर्वे नं. 230/1/1/2, रकबा 0.407 के आधिपत्य हेतु धारा 250 म.प्र.भू. राजस्व संहिता के तहत आवेदन पेश किया था। उभयपक्ष की गवाह, पुरावा, बहस आदि के पश्चात् दिनांक 16/8/2017 को माननीय तहसीलदार महोदय ने राजेश खण्डेलवाल के प्रकरण को खारिज कर दिया है।

2. यह कि, तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 16/8/2017 से असंतुष्ट होकर राजेश खण्डेलवाल की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3095-पीबीआर/2018 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	30/5/2019